

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/मोस्वा0कार्य0/भर्ती-2018/स्था0 ई.फा 23/जोन जयपुर/2023/613 दिनांक- 31/8/2023

::आदेश::

निदेशालय के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020 द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/ एएनएम/भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किये जाते हैं:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनू वर्मा	जयपुर	01.07.1994	08.10.2020	--	07.10.2022	08.10.2022
2	ममता कुमारी	जयपुर	04.09.1993	08.10.2020	--	07.10.2022	08.10.2022
3	नीलम कुमारी	जयपुर	01.02.1988	12.10.2022	--	11.10.2022	12.10.2022
4	सरोज	जयपुर	11.10.1995	16.05.2020	--	15.05.2022	16.05.2022
5	शकुन्तला	जयपुर	07.07.1990	12.10.2020	--	11.10.2022	12.10.2022
6	चन्द्रवती	जयपुर	18.06.1991	12.10.2020	--	11.10.2022	12.10.2022
7	अनिता प्रजापत	जयपुर	15.12.1990	05.06.2020	--	04.06.2022	05.06.2022
8	रीनु कुमारी	जयपुर	10.11.1992	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
9	सुशीला	जयपुर	01.01.1977	10.08.2020	--	09.08.2022	10.08.2022

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/म0स्वा0कार्य0/भर्ती-2018/स्था0 ई फा 23/जोन जयपुर/2023/613 दिनांक- 31/8/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर/दौसा ।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर